न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 39/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/62

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हीराराम पुत्र मगाराम जाति प्रजापत निवासी नेवाई तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.सुजाराम पुत्र डाऊराम 2.अशोककुमार पुत्र उकाराम 3.छगनलाल पुत्र उकाराम 4.पवनकुमार पुत्र उकाराम 5.पीराराम पुत्र उकाराम जाति माली निवासी माली समाज भवन के पास,बालोतरा तहसील पचपदरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2.विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 31.10.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नेवाई तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 162 रकबा 51 बीघा भूमि अवस्थित थी। तदोपरान्त मूल खसरा संख्या 162 के तरमीम खसरा संख्या 162 रकबा 17 बीघा व खसरा संख्या 553/162 रकबा 34 बीघा कायम हुए। प्रार्थी की खसरा संख्या 162 व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी खसरा संख्या 553/162 है,तथा मौके पर भी काबिज होकर आ रहे है,लेकिन लढटा नक्शा मे तरमीम मौका स्थिति से भिन्न जाकर प्रार्थी की खसरान की तरमीम विप्रार्थी की काबिज भूमि मे कर दी गई,जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतं प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की अशुद्व तरमीम को निरस्त किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

मौका कब्जा–काश्त व माफिक परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री छत्रकरण भाटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया था। जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात विप्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही होने के कारण विप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित की जाती है।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम नेवाई तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 162 रकबा 51 बीघा भूमि अवस्थित थी। तदोपरान्त मूल खसरा संख्या 162 के तरमीम खसरा संख्या 162 रकबा 17 बीघा व खसरा संख्या 553/162 रकबा 34 बीघा कायम हुए। प्रार्थी की खसरा संख्या 162 व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी खसरा संख्या 553/162 है,तथा मौके पर भी काबिज होकर आ रहे है,लेकिन लढटा नक्शा मे तरमीम मौका स्थिति से भिन्न जाकर प्रार्थी की खसरान की तरमीम विप्रार्थी की काबिज भूमि मे कर दी गई,जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है,जिसके कारण प्रार्थी को परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुरूप विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे मुख्य उजर उठाया कि विवादित भूमि की मौका कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम को अपास्त कर नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मे दर्शितानुसार तरमीम की जावे। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई थी,मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकन है कि विवादित भूमि की तरमीम मौका कब्जा काश्त के विपरीत हो रखी है,लेकिन खसरान नम्बर अंदाजी गलत दर्ज हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती किए जाने योग्य है। इसके उपरांत विप्रार्थीगण बावजूद तामीली के उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थी को प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है,यदि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आपति होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा नही किया गया। इसके उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित रहेगा,ताकि भूमिधारक स्वंय विवादित भूमि का मौका मुआयना करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे जांच कर तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही करे।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–नेवाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 162 व 553/162 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का मौका कब्जा स्थिति एवं रेकर्ड के आधार पर नियमानुसार नये सिरे से तरमीम दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)31/10/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 31/10/2025
बालोतरा